Statement—II

Proposed strengthening/upgradation of telephone exchanges in Andhra Pradesh during the coming year (1992-93).

(a) *Strengthening of exchanges :*
E—10 B Electronic exchaages

Sl.No.	Name of Exchange	Capacity
1.	Hanamkonda	5000
2.	Viskhapatnam	2000
3.	Hyderabad Gwaliguda	10000
4.	Hyderabad Mushirabad	6000
5.	Hyderabad Erragade	5000
6.	Hyderabad Secounderabad	3000
7.	Hyderabad Saifabad RLU	2000
8.	Hyderabad Secoundarabad RLU	3000
		36000

(b) *ICP X-Bar Exchanges*

1.	Nizamabad	1000
2.	Elluru	500
3.	Ongole	2500

(c) *Upgradation/replacement of exchanges*

MAX-I Strowger	2 exchange;
MAX-II Strowger	6 exchanges
MAX-III Strowger	393 exchanges
Manual	38 exchanges

Waiting list for telephone connection

816. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 105 given in the Rajya Sabha on 25th February, 1992 and state:

(a) the number of people who have registered themselves for telephone connections in the country till-date and since when they are so registered; and

(b) by when Government propose to clear the backlog in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU). (a) The total number of persons waiting for telephone connections in the country as on 31.1.92 is 2388377. These applicants have registered for telephone connections progressively in the past several years.

(b) The above applicants shall be provided with telephone connections progressively during the 8th Plan period (1992-97) as per the following objective of the draft 8th Five Year Plan:

— Provide telephone connections practically on demand in rural and tribal areas;

— Waiting period for telephone connections not to exceed two years in large systems.

मुख्य महाप्रबंधक, टेलीफोन के विरुद्ध शिकायतें

*817. **डा० अबरार अहमद :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के मुख्य महाप्रबन्धक, टेलीफोन के विरुद्ध भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग के मुख्य महाप्रबंधक के स्थानांतरण के संबंध में सरकार की कोई नीति है।

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में प्रत्येक मुख्य महाप्रबंधक के कार्यकाल का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार दूरसंचार विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के संबंध में कोई स्थानांतरण नीति बनायेगी ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) :(क) जी हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जांच करने पर कोई विशेष अनियमिततायें नहीं पाई गई हैं।

(ग) जी हां।

(घ) राजपत्रित अधिकारियों के बारी-बारी से स्थानांतरण करने संबंधी नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक प्रतिलिपि मुख्य महाप्रबधकों की सूची के साथ विवरण के रूप में संलग्न है (नीचे **देखिए**)। जिसमें संबंधित राज्यों में उनके ठहरने की अवधि का ब्यौरा दिया गया है। आर्थिक उपाय के रूप में इस समय बारी-बारी से स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है।

(ङ) विभाग में कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत पहले से ही हैं।

दूरसंचार विभाग में राजपत्रित अधिकारियों का बारी-बारी से स्थानांतरण 1987–88 के लिए नीति मार्गदर्शी सिद्धांत

वर्ष 1987–88 के दौरान राजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए अपनाई जाने वाली नीति संबंधी प्रश्न की विस्तृत जांच कर ली गई है और यह निर्णय लिया गया है कि जिन अधिकारियों ने एक ही स्थान पर 6 वर्ष (सर्किल अध्यक्ष के विवेक पर 8 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है) की सेवा पूरी की है उनके मामलों की समीक्षा की जाए तथा अधिकारियों को उसी सर्किल में स्थानांतरण किया जाय। स्थानांतरण करते समय अधिकारियों के विकल्प या उनके अनुरोध पर यथा सम्भव विचार किया जाए तथा उन अधिकारियों को जिन्हें अपना कार्यकाल समाप्त कर/अनचाहे केन्द्रों से लौटना है उन्हें जहां तक सम्भव हो इन केन्द्रों में छः वर्ष से अधिक समय तक पहले से कार्यरत अधिकारियों का उपयुक्त स्थानांतरण करके, उनकी पसन्द के स्थान पर खपाया जाए। सर्किल अध्यक्ष यदि सेवा के हित में आवश्यक समझे तो, उन अधिकारियों का भी स्थानांतरण कर सकते हैं जिन्होंने एक ही स्थान पर 6 वर्ष से कम की सेवा की है।

पैरा 1 में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए अध्यक्ष समीक्षा करेंगे और टी ई एस समूह–"ख"/आई टी एस समूह "क" के वरिष्ठ समयमान तथा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी और टी टी एस समूह "क" तथा "ख" के अधि-